

देश-देशांतर/द बगि पकिचर : अप्रचलति कानूनों को नरिस्त करने की प्रक्रिया जारी

संदर्भ

संसद के शीतकालीन सत्र में पुराने एवं अप्रासंगिक कानूनों को नष्टिप्रभावी बनाने के लिये नरिसन और संशोधन वधियक, 2017 तथा नरिसन और संशोधन (दूसरा) वधियक 2017 पारति कथिा गया । इनके तहत पुराने एवं अप्रासंगिक कानूनों को समाप्त करने के क्रम में संसद ने और 245 कानूनों को नरिस्त कर दथिा ।

पृष्ठभूमि

- देश को स्वतंत्र हुए 70 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अंगरेजों के जमाने के कानून आज भी मौजूद हैं । अब जनि कानूनों को नरिस्त कथिा गया है, वे ऐसे कानून थे जो आज़ादी के आंदोलन को दबाने के लिये बनाए गए थे । इन पुराने कानूनों में सुधार तो हो नहीं सकता था, इसलथि इनमें संशोधन की बात सोचना भी बेकार था ।
- उल्लेखनीय है कि इससे पहले मई 2014 से अगस्त 2016 के बीच 1175 ऐसे पुराने कानूनों को हटाया जा चुका है, जनिा कोई औचित्य नहीं रह गया था ।

नरिसन और संशोधन वधियक, 2017 के तहत 104 पुराने कानूनों को समाप्त करने का प्रस्ताव कथिा गया, जबकि नरिसन और संशोधन (दूसरा) वधियक, 2017 के तहत 131 पुराने एवं अप्रासंगिक कानूनों को समाप्त करने का प्रस्ताव कथिा गया ।

कानून कैसे-कैसे?

- अब तक जो कानून समाप्त कथिे गए हैं उनमें सरकारी मुद्रा अधनियम, 1862, पश्चिमोत्तर प्रांत ग्राम और सड़क पुलसि अधनियम 1873, नाट्य प्रदर्शन अधनियम 1876, राजद्रोहात्मक सभाओं का नवारण अधनियम 1911, बंगाल आतंकवादी हसिा दमन अनुपूरक अधनियम 1932 शामिल हैं ।
- पुलसि अधनियम 1888, फोर्ट वलियम अधनियम 1881, हावड़ा अपराध अधनियम 1857, सप्ताहकि अवकाश दनि अधनियम 1942, युद्ध क्षति प्रतिकर बीमा अधनियम 1943 जैसे अंगरेजों के समय के पुराने और अप्रचलति कानूनों को समाप्त कथिा गया है ।
- शतरु के साथ व्यापार (आपात वधियक उपबंधों का चालू रखना) अधनियम 1947, कपास उपकर संशोधन अधनियम 1956, दल्लिी करिएदार अस्थायी उपबंध अधनियम 1956, वधिन परषिद अधनियम 1957, आपदा संकट माल बीमा अधनियम 1962, खतरनाक मशीन वनियमन अधनियम 1983, सीमा शुलक संशोधन अधनियम 1985 शामिल हैं ।
- कुछ ऐसे भी कानून हैं, जो 150-175 साल पुराने हैं, उन्हें भी नरिस्त कथिा गया है, इनमें हावड़ा ऑफेंस एक्ट, गंगा टैक्स कानून 1880, ड्रैमेटकि परफॉर्मेंस एक्ट 1872, वेस्टलैंड क्लेम एक्ट व सराय एक्ट 1867 जैसे कानून शामिल हैं ।

इनके अलावा इंडथिा ट्रेजर ट्रोव एक्ट 1878, दि बंगलौर मैरजिज वेलडिडिगि एक्ट 1934, दि इंडथिन पोस्ट ऑफसि एक्ट 1898, दि संधाल परगना एक्ट 1855, दि शेरफि फीस एक्ट 1852, कॉफी एक्ट 1942, दि न्यूज़ पेपर (प्राइस एंड पेज) एक्ट 1956, यंग परसनस (हारमफुल पब्लिकेशंस) एक्ट 1956, एक्सचेंज ऑफ प्रजिनरस एक्ट 1948, वसिथापति लोगों के पुनरवास के लथिे (भूमि अधगिरहण) अधनियम 1948 और इंडथिन इंडपेंडेंस पाकसिथान कोर्टस (पेंडिग प्रोसेडिगि) एक्ट 1952 जैसे बलिकूल अप्रासंगिक कानून भी समाप्त होने की प्रक्रथिा से गुज़र रहे हैं ।

अप्रचलति कानूनों पर वभिनिन रपिरटें

- अप्रचलति कानून नरिस्त करने पर वधिािआयोग की 96वीं रपिरट (1984)
- वधिािआयोग ने 1947 के पहले के कुछ कानूनों को नरिस्त करने की सफारशि की थी (रपिरट 1993)
- कानूनों को नरिस्त और संशोधति करने पर वधिािआयोग की 159वीं रपिरट (1998)
- प्रशासनकि वधिथिों की समीक्षा पर 1998 में आयोग की रपिरट (इसे ही पी.सी. जैन आयोग रपिरट कहा जाता है)

कथिा हुई काररवाई?

आज़ादी के बाद हमारे देश में कानून की कतिाब में जतिने नए अध्याय जुडे हैं, उससे कहीं अधिक हटाए गए हैं । ये ब्रिटिशकालीन अध्याय कानूनी कतिाब

में आर्काइव की तरह पड़े थे और यह क्रम अभी जारी है।

- सरकार पहले उन कानूनों को नरिस्त कर रही है, जनिहें रद्द करने की सफारिश कसीं आयोग द्वारा पहले की जा चुकी है।
- इसके अंतरगत पी.सी. जैन आयोग द्वारा 250 अपरासंगिक हो चुके कानूनों को खत्म करने की सफारिश भी शामिल हैं।
- 1998 में इसी कमेटी ने 700 वनियोग व वतित वधियकों को भी खत्म करने की सफारिश की थी, जो अनुपयोगी व बेकार हो चुके हैं। ऐसे वधियकों की ज़रूरत सीमति समय के लिये ही होती है।
- 2014 में नई सरकार द्वारा यह प्रक्रिया शुरू करने से पहले वर्ष 1950 में 1029 ऐसे कानूनों को कतिब से हटाया गया था।
- उसके बाद 2004 में अटल बहारी वाजपेयी की सरकार में यह काम हुआ था और फरि 2014 में नई सरकार आने के बाद इस काम में तेज़ी आई।

मई 2014 से अगस्त 2016 के बीच रद्द कानून

प्रधानमंत्री कार्यालय, भारतीय वधिआयोग की सफारिशों और उसके बाद वधिविभाग द्वारा गठित दो सदस्यीय **रामानुजम समिति** ने नरिस्त करने के लिये पुराने और नरिस्तक पड़ चुके 1824 कानूनों की पहचान की थी। अपरासंगिक और बेकार कानूनों की समीक्षा के बाद इसने अपनी रपिर्ट में 637 कानून रद्द करने की सफारिश की थी।

- नरिसन तथा संशोधन अधिनियम (2015 का 17वाँ) द्वारा 35 अधिनियमों को नरिसति किया गया।
- नरिसन तथा संशोधन (द्वितीय) अधिनियम, 2015 (2015 का 19 वाँ) द्वारा 90 अधिनियमों को नरिसति किया गया।
- वनियोग अधिनियम (नरिसन) वधियक, 2016 (2016 का 22) द्वारा 756 अधिनियमों को नरिसति किया गया।
- रेलवे वनियोग अधिनियम सहति वनियोग अधिनियमों को समाप्त किया गया।
- नरिसन और संशोधन अधिनियम, 2016 (2016 का 23) द्वारा 294 अधिनियमों को नरिस्त किया गया।

(टीम टुष्टि इनपुट)

क्या अंतर पड़ेगा?

बेशक ये कानून प्रचलन में नहीं थे, लेकिन इनका अस्तित्व बना हुआ था और इस कारण इनके दुरुपयोग की संभावना भी बनी रहती थी। जानकारों का मानना है कि ये कानून वधि व्यवस्था पर एक बोझ जैसा बने हुए थे, क्योंकि इनमें से कई कानून तो ऐसे थे, जिनका स्थान नए कानून ले चुके हैं। कई देशों में यह प्रक्रिया अपनाई जाती है कि समय के साथ प्रभावी न रह जाने वाले या ऐसे कानून जिनमें नरिंतरता नहीं है, उन्हें हटा दिया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि समय के साथ उनकी कीमत कम हो गई है।

- इसे अंग्रेज़ी में **Periodic Spring-cleaning of the Statute Book** कहा जाता है।

देश में अब जो कानून नरिस्त किये जा रहे हैं, वे तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार बनाए गए थे और वर्तमान दौर में उनकी कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई थी। लेकिन इनके तहत यदि कोई मामला चल रहा है तो वह नरिस्त नहीं होगा।

वधिआयोग की अंतरमि रपिर्टें

2014 में नई सरकार बन जाने के बाद वधिआयोग ने अपनी 248, 249, 250 और 251वीं अंतरमि रपिर्टों में क्रमशः 72, 113, 74 और 30 बेकार और अपरासंगिक हो चुके कानूनों (जिनमें कुछ राज्यों के कानून भी शामिल थे) की पहचान करके उन्हें जल्द-से-जल्द नरिस्त करने की सफारिश की थी। वैसे वधिआयोग हर बार ऐसे कानूनों की समाप्ति को लेकर अपनी रपिर्ट में उल्लेख करता रहता है। जैसे:

- पुराने पड़ गए कानूनों की समीक्षा करना और उन्हें समाप्त करने की सफारिश करना।
- उन कानूनों की पहचान करना, जिनकी ज़रूरत या प्रासंगिकता नहीं रह गई है और जनिहें तुरंत समाप्त किया जा सकता है।
- उन कानूनों की पहचान करना, जो आर्थिक उदारीकरण के मौजूदा माहौल में उपयुक्त हैं और जनिहें बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है।
- उन कानूनों की पहचान करना जनिमें बदलाव या संशोधन की आवश्यकता है, इनमें संशोधन के लिये सुझाव देना।
- कानूनों के समन्वय और उनके सामंजस्य के लिये विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के विशेषज्ञ समूहों द्वारा सुझाए गए संशोधन/सुधार पर व्यापक परिप्रेक्ष्य में विचार करना।
- एक से अधिक विभागों/मंत्रालयों के कामकाज को प्रभावित करने वाले कानूनों के संबंध में मंत्रालयों/विभागों की सफारिश पर विचार करना।

वधिआयोग

भारतीय वधिआयोग को प्रत्येक तीन वर्ष के बाद पुनर्गठित किया जाता है। यह आयोग संविधान में उल्लिखित अपने गठन संबंधी नियमों और शर्तों के तहत काम करता है और इसे अपने क्रियाकलापों में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश डॉ. बलबीर सहि (बी.एस.) चौहान वधिआयोग के 21वें अध्यक्ष हैं।

वधिआयोग के प्रमुख कार्य

- वधिआयोग केंद्र सरकार द्वारा उल्लिखित या स्वमेव आधार पर वधि संबंधी अनुसंधान करेगा और भारत में मौजूदा कानूनों की समीक्षा करेगा ताकि

उनमें सुधार किया जा सके और नए कानून लागू किये जा सकें।

- इसके अलावा आयोग प्रक्रियाओं में देरी को दूर करने, मुकदमों के जल्द नपिटाने और मुकदमों के खर्चों में कमी इत्यादि संबंधी न्याय प्रणाली में सुधारों के लिये अध्ययन और अनुसंधान करेगा।
- जो कानून प्रासंगिक नहीं रहे उनकी पहचान करना और बेकार तथा अनावश्यक कानूनों को रद्द करने की सफारिश करना।
- नीति निर्देशक तत्त्वों के क्रियान्वयन के लिये आवश्यक नए कानूनों को लागू करने के संबंध में सुझाव देना और संविधान की प्रस्तावना में व्यक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना।
- कानून और न्यायिक प्रशासन से संबंधित विषयों पर सरकार को अपने दृष्टिकोण से अवगत कराना, जिनमें विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधिकार्य विभाग के ज़रिये सरकार द्वारा उल्लिखित किया गया हो।
- केंद्र सरकार को अपने द्वारा विचार किये गए सभी मुद्दों, विषयों, अध्ययनों और अनुसंधान पर केंद्र सरकार को समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना और इन रिपोर्टों के ऊपर कार्रवाई करने के लिये केंद्र और राज्य को सुझाव देना।

(टीम दृष्टि इनपुट)

वनियोग और वित्त विधियों की भरमार

केंद्र सरकार लगभग 700 वनियोग कानूनों को भी रद्द कर चुकी है। उल्लेखनीय है कि प्रतिवर्ष कम-से-कम 12 वनियोग विधायक सरकारी राजकोष से धन निकालने के लिये लाए और पारित किये जाते हैं। पछिले कई दशकों में बड़ी संख्या में वनियोग कानून पारित किये गए थे, लेकिन अपनी प्रासंगिकता खोने के बावजूद ये विधि पुस्तिका में बने हुए थे। उल्लेखनीय है कि वनियोग अधिनियम एक सीमित अवधि के लिये होता है और यह एक वित्त वर्ष की अवधि के लिये खर्च का अधिकार सरकार को प्रदान करता है। ऐसे कानूनों के बारे में जानकारों का कहना है कि इनकी 'सेल्फ लाइफ' निर्धारित कर देनी चाहिये, ताकि 1-2 वर्ष बाद ये स्वतः समाप्त हो जाएँ।

निष्कर्ष: पछिले वर्ष नीति आयोग द्वारा आयोजित किये गए 'ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया' की व्याख्यानमाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि प्रशासकीय बदलाव के लिये पुरानी व्यवस्था बदलने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। अप्रचलित कानूनों और पुरानी पड़ चुकी प्रशासकीय व्यवस्था दूर रखकर नए प्रयोग करने से ही बदलाव लाना संभव हो सकेगा।

पुराने अप्रचलित-अप्रासंगिक कानूनों को नरिस्त करने से यह सुनिश्चित होता है कि हमारा विधिक ढाँचा बदलते समय की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। जब समाज और उसकी सोच बदल जाती है, तब उसकी प्राथमिकताएँ भी बदल जाती हैं। ऐसे में नए कानूनों की ज़रूरत महसूस होने लगती है। यही वजह है कि पुराने कानूनों में समय-समय पर संशोधन की ज़रूरत पड़ती है। उसकी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिये ऐसा करना अनिवार्य है। वहीं जिन कानूनों की कोई ज़रूरत नहीं उन्हें खत्म कर देना चाहिये, परंतु देश में इसकी गति धीमी रही है। देश में पुराने पड़ चुके इन कानूनों को खत्म करने की मांग लंबे समय से होती रही है, क्योंकि कई बार इनका प्रयोग देश में चलने वाली लंबी कानूनी प्रक्रिया को और जटिल बनाने के लिये भी किया जाता है तथा कभी-कभी ये भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देते हैं। देश में अभी भी कई ऐसे कानून हैं, जो 100 साल से भी अधिक पुराने हैं और अब लागू करने के योग्य नहीं हैं। अब मैकाले के समय के कानूनों की समीक्षा वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर होनी चाहिये, क्योंकि परिस्थितियों और समय के अनुसार अपराध के तौर-तरीके बदले हैं।